Title: Demand to consider the recommendations of Members of Parliament in implementing the schemes under Sampurna Gramina Rojgar Yojana (SGRY).

प्रो. एस.पी.सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में एक ऐसे प्रश्न को उठा रहा हूं जिससे सारे सांसद जुड़े हुए हैं। हिन्दुस्तान के सारे सांसद जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, यह उन सबकी समस्या है, इससे वे सभी प्रभावित हैं। भारत सरकार द्वारा एक सुनिश्चित रोजगार योजना चलाई गई थी। अब उसका नाम बदल दिया गया है। एस.आर.वाई. ,जो सुनिश्चित रोजगार योजना थी, अब वह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 70 प्रतिशत पैसा सीधे क्षेत्र पंचायतों को दिया जाता है और 30 प्रतिशत पैसा जिला पंचायतों को दिया जाता है। जो 70 फीसदी पैसा अब उसका नाम बदल दिया गया है। एस.आर.वाई. जो सुनिश्चित रोजगार योजना थी, अब वह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 70 प्रतिशत पैसा सीधे क्षेत्र पंचायतों को दिया जाता है और 30 प्रतिशत पैसा जिला पंचायतों को दिया जाता है। जो 70 फीसदी पैसा पंचायतों को दिया जाता है, उसकी कार्य योजना बी.डी.ओ. और ब्लाक प्रमुख मिलकर बनाते हैं और 30 फीसदी पैसे की योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक्जीक्यूटिव ऑफिसर आदि जो जिला पंचायत में होते हैं, वे बनाते हैं। जो सांसद देहातों से हैं, वे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। यह बहुत बड़ी राशि है और उसकी कार्य योजना बी.डी.ओ. बनाता है। अधिकांश सासंद इस बात से सहमत होंगे कि क्षेत्र पंचायत की बैठक की सूचना भी एक सांसद को नहीं दी जाती है। जबकि यह सूचना जिला पंचायत में दी जाती है। क्षेत्र पंचायतों की रियल बैठक नहीं होती है। बी.डी.ओ. और ब्लॉक प्रमुख घर में बैठक कर लेते हैं। यहां तक कि बी.डी.सीज. को भी नहीं दी जाती है। यह बहुत बड़ी राशि है। आप ऐसा मत समझिये कि देहातों में हजारों योजनाएं चल रही हैं। सांसद निधि, विधायक निधि, प्रधान मंत्री सड़क योजना, एस.आर.वाई., जे.आर.वाई. आदि हैं। एस.आर.वाई. में बहुत सारा धन जाता है। क्या बी.डी.ओ. जानता है कि अमुक गांव में रामलाल के घर से श्याम लाल के घर तक एक खड़ंजा बनना है, क्या वह यह प्रस्ताव लिख सकता है। क्या वह लिख सकता है कि फलां गांव में नाली बननी है, क्या वह लिख सकता है कि इन-इन स्थानों पर पेयजल की समस्या है। क्या फिजीकली उसे इतना ज्ञान है। अगर सांसद से पूछा जाए तो लगभग सभी सांसद सारे देहातों में शादी, ब्याह तथा भगवद्गीता के पाठ तथा आदि कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। वे अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं, वे क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत योजना बनाते समय माननीय सांसदों से प्रस्ताव लिये जाएं और प्रस्ताव में यह तय किया जाए कि इन-इन ब्लॉक में इतने लाख रुपये स्वीकृत किये जाएं तथा देखा जाए कि उसमें कितनी प्रतिनिधि हैं और उनमें राशि का वितरण करने से पहले सांसदों से कहा जाए कि इतने लाख रुपये के प्रस्ताव दे दें। अगर सांसदों की प्रस्तावित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में नियमों के तहत उनकी राशि है तो वह राशि कंसीडर की जाए।

यह निर्देश भारत सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात जो इस मद में काम होता है, जिला पंचायत उसके तहत काम कर रही हैं, लाखों रुपये व्यय कर रही हैं और भारत सरकार का वह पैसा है। सांसदों को उसका क्रैडिट नहीं मिल रहा है। सांसदों के प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं। सांसद यह भी नहीं कह सकता कि हमने ये काम कराए हैं। इसलिए राज्यों को निर्देश दिए जाएं कि संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना की कार्य योजना बनाते समय सासदों के प्रस्ताव लिए जाएं अथवा उनका कोटा निश्चित किया जाए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इसी संदर्भ में मेरा एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे चैम्बर में आकर सुझाव दीजिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा सुझाव है कि संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत जो राज्यों को धन जा रहा है, भौतिक रूप से मात्र 25 प्रतिशत धन खर्च हो रहा है और 75 प्रतिशत धन की लूट हो रही है। इसकी भी केन्द्र सरकार जांच कराए।